विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

एफ.1–127/2011 (एन्टी रैगिंग)

सार्वजनिक अधिसूचना

उच्चततर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण

समस्त संस्थानों, छात्रों एवं अन्य पणधारियों के ध्यान में यह तथ्य रखा जा रहा है कि रैंगिग एक आपराधिक दुर्व्यव्यवहार है तथा इसके लिए यूजीसी ने नियमनों को सृजित किया जिन्हें मिसिल सं. न.1–16/2009 (सीपीपी–2) दिनांक 21.10.2009 (जो कि यूजीसी वेबसाइट यूजीसी.एसी.आइ एन, पर उपलब्ध है) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है तथा जो नियमन उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विद्यमान, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण करने के विषय में है ताकि रैंगिग से होने वाले उत्पीडन से बचा जा सके तथा इसका निवारण किया जा सके।

उपरोक्त नियमन अधिदेशात्मक हैं तथा ऐसे समस्त विश्वविद्यालय जो कि किसी केन्द्रीय अधिनियम, अथवा किसी राज्यीय अधिनियम अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं, एवं ऐसे समस्त संस्थान, जो कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं समस्त सम–विश्वविद्यालयों द्वारा, जो कि मान्यता प्राप्त है, उनसे संबद्ध हैं–उन सभी के ऊपर यह समस्त नियमन दिनांक 4 जुलाई, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उस तिथि से जब कि भारतीय राजपत्र के अन्तर्गत यह प्रकाशित हुए थे। **इन उपरोक्त नियमनों के अन्तर्गत जो प्रावधान किए गए है उनके अनुसार इनके क्रियान्वयन एवं समस्त रचना–तंत्र आदि तथा इनके अनुवीक्षण के प्रति इन समस्त संस्थानों द्वारा कठोर अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
रैंगिग विरोधी निम्न निवारक उपायों का भी कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए :–

1) समस्त संस्थान, ऐसे उपयुक्त पट्ट/सूचनापट्ट/ध्वजा आदि परिसर की ऐसी विशिष्ट जगहों पर उत्थापित करायें, जिनसे छात्र प्रेरित हों ताकि वे इस बात से बचें एवं रैंगिग में लिप्त न हों तथा इन सभी में ऐसे अधिकारियों के नाम एवं उनके टेलिफोन नम्बर निर्दिष्ट हों जिन्हें रैगिंग की किसी भी घटना के बारे में, यदि वह होती है तो उनसे संपर्क साधा जा सके।
2) समस्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा रैंगिंग विरोधी समितियाँ एवं दल रचित किए जाने चाहिए तथा साथ ही वार्डनों एवं व्यावसायिक परामर्शदाताओं का एक समर्पित वर्ग स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राघवन समिति की अनुशंसाओं का अनुपालन बिना किसी अपवाद के किया जा रहा है।
3) नियमन 6.2 की धारा (एम तथा एन) के अनुसार प्रत्येक छात्र, माता–पिता/संरक्षक से पृथक तौर से एक शपथ–पत्र लिया जाना चाहिए।
4) रैंगिग के निवारण के लिए यदि अन्य किसी भी प्रकार के अभियान को उपयुक्त समझा जाये तो संस्थान उसे भी प्रारंभ कर सकता है।

5) यूजीसी ने पहले ही अपने वेबसाइट के ऊपर एक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड किया है। समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड कर लें तथा शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करें। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका निरंतर अनुवीक्षण किया जाना चाहिए।

यूजीसी के उपरोक्त नियमन की अवहेलना की स्थिति में, अथवा यदि कोई संस्थान रैंगिग का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहता है, अथवा इन नियमनों के अनुसार असमर्थ रहता है, अथवा रैंगिग के अपराधियों को उचित रूप से दंडित करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में यूजीसी द्वारा त्रुटि करने वाले संस्थानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ऐसे छात्र जो कि रैंगिग से संबद्ध दुर्घटनाओं के कारण त्रस्त हैं–वे टॉल फ्री हेल्पलाइन न. 1800–180–5522 का उपयोग कर सकते हैं।

सचिव